

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**मांग संख्या 60**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		321.74	1306.70	1628.44	496.39	1456.92	1953.31	644.93	1456.60	2101.53	
पूंजी		3.74	1.30	5.04	3.61	1.08	4.69	126.57	1.40	127.97	
जोड़		<b>325.48</b>	<b>1308.00</b>	<b>1633.48</b>	<b>500.00</b>	<b>1458.00</b>	<b>1958.00</b>	<b>771.50</b>	<b>1458.00</b>	<b>2229.50</b>	
1.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं श्रम और रोजगार श्रम	2251	...	19.80	19.80	...	19.50	19.50	...	22.50	22.50
2.	अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	5.34	6.36	11.70	10.02	6.36	16.38	6.65	6.65	13.30
		4250	0.15	0.02	0.17	0.02	0.02	0.04	0.15	0.03	0.18
	जोड़		5.49	6.38	11.87	10.04	6.38	16.42	6.80	6.68	13.48
3.	औद्योगिक संबंध	2230	6.10	28.43	34.53	5.81	25.16	30.97	6.85	28.68	35.53
		4250	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
	जोड़		6.10	28.50	34.60	5.81	25.23	31.04	6.85	28.75	35.60
4.	कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	4.50	32.06	36.56	5.32	31.75	37.07	14.60	34.89	49.49
		4250	1.30	0.11	1.41	1.30	0.01	1.31	1.30	0.11	1.41
	जोड़		5.80	32.17	37.97	6.62	31.76	38.38	15.90	35.00	50.90
5.	श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	237.86	237.86	...	242.87	242.87	...	266.85	266.85
		3601	...	24.00	24.00	...	18.68	18.68	...	...	...
		4250	...	1.93	1.93	...	2.02	2.02	...	1.68	1.68
	जोड़		...	263.79	263.79	...	263.57	263.57	...	268.53	268.53
6.	श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अन्तरण										
6.01	बीड़ी कामगार कल्याण निधि										
	को	2230	...	230.00	230.00	...	226.00	226.00	...	230.00	230.00
	से	2230	...	-211.10	-211.10	...	-216.95	-216.95	...	-237.08	-237.08
		3601	...	-24.00	-24.00	...	-18.68	-18.68	...	...	...
		4250	...	-1.51	-1.51	...	-1.50	-1.50	...	-1.31	-1.31
	निवल		...	-6.61	-6.61	...	-11.13	-11.13	...	-8.39	-8.39
6.02	अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	2.50	2.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
	से	2230	...	-1.51	-1.51	...	-1.53	-1.53	...	-1.67	-1.67
	निवल		...	0.99	0.99	...	1.97	1.97	...	1.83	1.83
6.03	लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	19.00	19.00	...	21.50	21.50	...	21.50	21.50
	से	2230	...	-12.64	-12.64	...	-12.48	-12.48	...	-12.71	-12.71
		4250	...	-0.26	-0.26	...	-0.27	-0.27	...	-0.24	-0.24
	निवल		...	6.10	6.10	...	8.75	8.75	...	8.55	8.55
6.04	चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि										
	को	2230	...	20.00	20.00	...	22.50	22.50	...	22.50	22.50
	से	2230	...	-11.27	-11.27	...	-10.61	-10.61	...	-13.96	-13.96
		4250	...	-0.15	-0.15	...	-0.23	-0.23	...	-0.11	-0.11
	निवल		...	8.58	8.58	...	11.66	11.66	...	8.43	8.43
6.05	सिनेमा कामगार कल्याण निधि										
	को	2230	...	1.55	1.55	...	1.55	1.55	...	2.00	2.00
	से	2230	...	-1.34	-1.34	...	-1.30	-1.30	...	-1.43	-1.43
		4250	...	-0.01	-0.01	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02
	निवल		...	0.20	0.20	...	0.23	0.23	...	0.55	0.55
	जोड़		...	9.26	9.26	...	11.48	11.48	...	10.97	10.97
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा											
7.	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	...	840.00	840.00	...	990.00	990.00	...	967.22	967.22

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं-जीवन बीमा योजना और असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	...	14.80	14.80	...	15.79	15.79	...	15.41	15.41
9. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	2230	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
	3601	5.00	...	5.00	1.25	...	1.25	1.00	...	1.00
9.01 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा	3601	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
	जोड़	5.00	...	5.00	1.25	...	1.25	205.00	...	205.00
<b>जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा श्रमिक शिक्षा</b>		<b>5.00</b>	<b>854.80</b>	<b>859.80</b>	<b>1.25</b>	<b>1005.79</b>	<b>1007.04</b>	<b>205.00</b>	<b>982.63</b>	<b>1187.63</b>
10. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	7.90	24.21	32.11	7.90	24.21	32.11	8.00	24.00	32.00
11. राष्ट्रीय श्रम संगठन	2230	4.50	2.85	7.35	4.50	2.85	7.35	4.50	3.00	7.50
<b>जोड़-श्रमिक शिक्षा</b>		<b>12.40</b>	<b>27.06</b>	<b>39.46</b>	<b>12.40</b>	<b>27.06</b>	<b>39.46</b>	<b>12.50</b>	<b>27.00</b>	<b>39.50</b>
12. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3601	1.80	...	1.80	1.50	...	1.50	1.80	...	1.80
13. बाल/महिला श्रमिक की कार्य दशा में सुधार	2230	171.06	...	171.06	153.06	...	153.06	156.06	...	156.06
14. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	8.06	8.06	...	8.06	8.06	...	8.56	8.56
15. अन्य मदें	2230	2.25	0.78	3.03	1.65	1.01	2.66	2.75	0.86	3.61
<b>जोड़-श्रम रोजगार और प्रशिक्षण</b>		<b>209.90</b>	<b>1230.80</b>	<b>1440.70</b>	<b>192.33</b>	<b>1380.34</b>	<b>1572.67</b>	<b>407.66</b>	<b>1368.98</b>	<b>1776.64</b>
16. रोजगार	2230	0.90	22.23	23.13	1.52	22.35	23.87	1.08	24.71	25.79
16.1 भूमि अंतरण न होने के कारण धन वापसी और भूतपूर्व केन्द्रीय रोजगार केन्द्र कार्यालय गोरखपुर के लिए ईपीएफओ को भुगतान	2230	...	...	...	...	...	...	...	1.04	1.04
	4250	0.13	0.17	0.30	0.13	0.17	0.30	0.12	0.25	0.37
	जोड़	1.03	22.40	23.43	1.65	22.52	24.17	1.20	26.00	27.20
17. प्रशिक्षण	2230	19.45	31.63	51.08	77.93	32.29	110.22	49.18	36.20	85.38
	3601	57.45	...	57.45	191.82	...	191.82	120.80	...	120.80
	3602	...	...	...	6.70	...	6.70	1.76	...	1.76
	4250	2.15	0.87	3.02	2.15	0.75	2.90	2.50	0.80	3.30
17.1 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण	6250	...	...	...	725.00	...	725.00	107.50	...	107.50
घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6250	...	...	...	-725.00	...	-725.00	...	...	...
<b>जोड़-प्रशिक्षण</b>		<b>79.05</b>	<b>32.50</b>	<b>111.55</b>	<b>278.60</b>	<b>33.04</b>	<b>311.64</b>	<b>281.74</b>	<b>37.00</b>	<b>318.74</b>
<b>जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण</b>		<b>80.08</b>	<b>54.90</b>	<b>134.98</b>	<b>280.25</b>	<b>55.56</b>	<b>335.81</b>	<b>282.94</b>	<b>63.00</b>	<b>345.94</b>
<b>जोड़-श्रम और रोजगार</b>		<b>289.98</b>	<b>1285.70</b>	<b>1575.68</b>	<b>472.58</b>	<b>1435.90</b>	<b>1908.48</b>	<b>690.60</b>	<b>1431.98</b>	<b>2122.58</b>
18. अनु.जा., अनु. जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.99	2.44	3.43	0.91	2.54	3.45	0.89	3.38	4.27
	4225	...	...	...	...	...	...	0.01	0.14	0.15
	4250	0.01	0.06	0.07	0.01	0.06	0.07	...	...	...
	जोड़	1.00	2.50	3.50	0.92	2.60	3.52	0.90	3.52	4.42

मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
19. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था	2552	34.50	...	34.50	26.50	...	26.50	65.01	...	65.01
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्मूलन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6552	...	...	...	25.00	...	25.00	14.99	...	14.99
	6250	...	...	...	-25.00	...	-25.00	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>34.50</b>	<b>...</b>	<b>34.50</b>	<b>26.50</b>	<b>...</b>	<b>26.50</b>	<b>80.00</b>	<b>...</b>	<b>80.00</b>	
<b>कुल-जोड़</b>	<b>325.48</b>	<b>1308.00</b>	<b>1633.48</b>	<b>500.00</b>	<b>1458.00</b>	<b>1958.00</b>	<b>771.50</b>	<b>1458.00</b>	<b>2229.50</b>	

ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. श्रम और रोजगार	22230	309.50	...	309.50	492.10	...	492.10	719.10	...	719.10
2. अनु.जा., अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1.00	...	1.00	0.92	...	0.92	0.90	...	0.90
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	34.50	...	34.50	26.50	...	26.50	80.00	...	80.00
		<b>345.00</b>	<b>...</b>	<b>345.00</b>	<b>519.52</b>	<b>...</b>	<b>519.52</b>	<b>800.00</b>	<b>...</b>	<b>800.00</b>

\*शहरी विकास मंत्रालय के निर्माण कार्य परिव्यय सहित।

मांग संख्या 100	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	0.65	...	0.65
मांग संख्या 101	16.52	...	16.52	16.52	...	16.52	27.85	...	27.85
<b>जोड़</b>	<b>19.52</b>	<b>...</b>	<b>19.52</b>	<b>19.52</b>	<b>...</b>	<b>19.52</b>	<b>28.50</b>	<b>...</b>	<b>28.50</b>

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** - इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **अनुसंधान एवं सांख्यिकी** - इसके अन्तर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण करने और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है।

3. **औद्योगिक संबंध** - इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने, श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का शीघ्र मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिये काम की अन्य स्थितियों व मजदूरी को नियमित करने के संबंध में निर्धारित आचार संहिता वाले समझौते, पंचाटों, श्रम कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने से संबंधित खर्च की व्यवस्था शामिल है।

4. **कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा** - इसके अंतर्गत फ़ैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रमिक संस्थानों के लिए व्यवस्था है जो गोदी कामगारों और फ़ैक्टरी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए भी व्यवस्था की गई है जो कि कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।

5. **श्रमिक कल्याण योजनाएं** - इसके अन्तर्गत बीड़ी कामगारों, अभ्रक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खान के कामगारों को छोड़कर) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिनेमा कामगार कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के तहत लगाए गए और वसूल किए गए उपकरणों से पूरा किया जाता है, जिन्हें सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अन्तर्गत कर दिया जाता है।

6. **श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण** - यह विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को उप-करों की अंतरित राशि और इन निधियों से श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के अन्तर का द्योतक है।

7. **कर्मचारी पेंशन योजना 1995** - इस नई स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें स्कीम के लिए सरकार के अंशदान के लिए प्रावधान है।

8. **असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान के कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना** - बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा योजना और चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा नियमित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में योजना के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

9. **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा**: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व लाभ और बीमा लाभों के लिए व्यवस्था है। व्यवस्था सरकार के अंशदान के लिए है।

10. **केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड** - भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है।

11. **राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान** - 1972 में स्थापित वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि सहित अनुसंधान का कार्य करता है।

12. **बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास** - यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम है जो कि राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना** - इसके अन्तर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

14. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक चंदा की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

15. **अन्य मदें** - (1) इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(2) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कर्मचारियों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(3) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं आदि को सहायता-अनुदान।

(4) यह प्रावधान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए है।

16. **रोजगार** - इस योजना में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्ग दर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं मागदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल है।

17. **प्रशिक्षण**: इसमें निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है:-

(i) **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन** : केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने के लिए है। (ii) इसमें से, 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को घरेलू संसाधनों तथा शेष 400 को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी के अन्तर्गत विशिष्ट ट्रेडों और कौशलों में 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने की योजना शुरू की है। 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग भागीदारों की पहली खेप को अभिचिन्हित किया गया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और संस्थान विकास आयोजनाओं (आईडीपी) के आधार पर निधियां जारी की गई हैं। उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में इन संस्थानों को उन्नयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ii) **उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण** - इस स्कीम का उद्देश्य परिचालन और अनुसंधान, दोनों ही क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को विकसित करना है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है।

(iii) आईटीआई/आईटीसी और अन्य संगठनों में उपलब्ध आधारभूत ढांचे का इष्टतम उपयोग करके विद्यालयों के युवाओं, कर्मचारियों, आईटीआई स्नातकों आदि को उनकी रोजगार क्षमता की सुधारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। इस स्कीम में उन सभी की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा जो अपनी रोजगार क्षमता को सुधारने के लिए अपने हुनर को बढ़ाना या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यक्तियों के विद्यमान कौशल का परीक्षण भी किया जाता है और उसे प्रमाणित किया जाता है। गैर-संगठित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा।

(iv) **अन्य स्कीमें** - इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के लिए व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं।

18. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण**: इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल हैं। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

19. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।

20. यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने के लिए संबद्ध आईटीआई के संस्थान प्रबंधन को ऋण पर ब्याज देने के लिए है।